फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सत्यनारायण बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 237 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-12-2020	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.01.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) 13/1/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/2/21 को पेश हो।	
09-02-21	पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनु०। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 22.02.21 को पेश हो।	
22/02/21	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के पुत्र का सही नाम पीयुष कुमार है। परन्तु विकय पत्र में सहवन से प्रवीण कुमार अंकित होने से नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय प्रवीण कुमार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:22 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मार्कशीट, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पुत्र का नाम पीयुष कुमार अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पुत्र का सही नाम पीयुष कुमार की पुष्टि मार्कशीट, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 190 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **प्रवीण कुमार** के स्थान पर **पीयुष कुमार** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:22 IST
Reason: SelfAttested